

(c) The demands are being discussed between the Air Corporation Employees' Union and Indian Airlines. The next meeting is to be held in the first week of July, 1977. Information about demands accepted by the Indian Airlines will be known only after discussions have been concluded.

(d) Does not arise as there is no strike.

Financial Collections by Texprocil Organisation

*295 SHRI D. D. DESAI: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Texprocil, which is a private organisation, is being allowed to enjoy, unlike other Export Promotion Councils, extraordinary powers to impose and collect taxes in the form of quota fees and penalties as reported in the Financial Express, Bombay, dated May 12, 1977;

(b) if so, whether these powers have any legislative backing;

(c) whether any Parliamentary Committee has taken any objection to any such financial collections by Texprocil; and

(d) whether it is also a fact that this organisation has been refusing to submit itself to Government audit, though some money from Market Development Fund indirectly reaches it via Indian Cotton Mills Federation?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Texprocil (Cotton Textiles Export Promotion Council), Bombay, does not collect any taxes. However, it collects from exporters of cotton textiles certain charges for rendering services to them and for allotment of export quotas for countries to which export of cotton textile is subject to quota.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) No money from marketing development fund goes to the Texprocil directly or through Indian Cotton Mills Federation and the question of Texprocil refusing to submit to Government audit does not arise.

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋणों की संज्ञरी की संशोधित नीति

296. श्री हरगोविन्द वर्मा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक ऋण देने की अपनी नीति में संशोधन कर रहे हैं, और

(ख) यदि हा, तो संशोधित नीति की अपेक्षा क्या है और इसे कब तक कार्यरूप में दिया जाएगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उधार देने की नीति सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार लागू की जाती है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के बैंक अधिकाधिक आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान करते हैं जो प्रतिभूति-परक उस ऋण से बिल्कुल भिन्न हैं, जो उधार देने की उनकी पिछली नीति का मुख्य अंग था।

हाल ही में, उन्हें जारी किया गया वित्त-यादी मार्गदर्शक सिद्धांतों में से कुछ नीतियों को विधे जा रहे हैं:—

(1) बैंकों की शाखा विस्तार के मामले में संशोधन करने की संकल्प

वी गई है ताकि जून, 1978 तक बिना बैंक वाले सामुदायिक विकास खण्डों में से प्रत्येक में वार्षिक बैंकों की कम से कम एक शाखा अवश्य स्थापित हो जाये।

- (2) बैंकों को आवेदन दिये गये हैं कि कार्य-निष्पादन बजट की अपनी व्यवस्था का और पारिभारजन करें ताकि उस बजट का अधिक मार्गिक और प्रयोजन परक होना सुनिश्चित किया जा सके।
- (3) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि मार्च, 1978 के अंत तक देश में सभी जिलों के लिए ऋण योजनाएं बनाएं ताकि जिले की सभी वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं मिलकर जिलों के, जो मान्यता प्राप्त प्रशासनिक एकक हैं, वार्षिक विकास में सहायता कर सकें।
- (4) समाज के कमजोर वर्गों को अधिक मात्रा में ऋण दिये जाने की दृष्टि से बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिये गये हैं कि मार्च 1979 तक उनके समग्र भवनों का कम से कम 33% प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया जाने लगे।

- (5) सरकार ने बैंकों को सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी है ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ग्रामीण और अर्धग्रामीण शाखाओं का ऋण और जमा का अनु-वृद्धि, मार्च, 1979 तक, कम से कम 60 प्रतिशत हो जाये।

- (6) समाज के कमजोर वर्गों की अपेक्षा अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में, सरकार ने विशेषी व्याज दर योजना के क्षेत्र और व्यक्ति को संबोधित कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत पाँच

व्यक्तियों को 4 प्रतिशत की व्याज दर से ऋण प्रदान किया जाता है।

- (7) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया को सरल बनाएं और अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करने का उपाय करें।
- (8) ऋण के आवेदन पत्रों का शीघ्र-निपटान सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि 10,000 - तक की ऋण सीमा के छोड़े ऋण के आवेदन-पत्रों को, उनकी प्राप्ति की तारीख से 3-4 सप्ताह की अवधि में और उससे अधिक सीमा के आवेदन-पत्र 3 महीने की अवधि में निपटा दिये जाने चाहिए।

Exemption from Excise Duty to New Industrial Units

*227. SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether the Indian Merchants Chamber had requested for grant of complete exemption from payment of excise duty for a specified period to new industrial units; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) Yes, Sir.

(b) Exemption from excise duty to the extent of 25 per cent of the duty otherwise payable is already available to new units producing specified goods, under the scheme of excise duty relief to encourage higher production, announced under notification No. 198/76-CE, dated 16th June, 1976. Further reliefs are under examination.